

फा.सं. 14/17/04-एस.आर.(एस.)(भाग-2)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 7 जून, 2012
07 JUN 2012

प्रति

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना, बिहार।

मुख्य सचिव,
झारखंड सरकार, रांची, झारखंड।

विषय: कार्मिकों के सेवानिवृत्त अथवा उनके आकस्मिक निधन पर राज्य आवंटन/पुनरावंटन-
स्पष्टीकरण के बाबत।

महोदय,

पुनः राज्य आवंटन संबंधी कुछ ऐसे मामले भारत सरकार के संज्ञान में आये हैं जिनमें कार्मिकों की या तो मृत्यु हो गयी है अथवा वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके पुनः राज्य आवंटन के मामले या तो माननीय उच्च न्यायालय में विचारधीन हैं अथवा माननीय उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में अभ्यावेदन पर पुनः विचार के कारण लंबित हैं।

2. इस सम्बंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में कार्मिकों को पुनः आवंटन वही राज्य माना जाएगा जिस राज्य के कार्मिक सेवानिवृत्त वाले दिवस कार्यरत थे अथवा उस राज्य में सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हुई अर्थात् उसका अंतिम सेवा दिवस जिस राज्य सरकार की सेवा में गुजरा है वही उसको आवंटित माना जाएगा। वित्तीय लाभों तथा सेवानिवृत्त लाभों का वहन वही राज्य सरकार करेगी जहाँ कार्मिक का अंतिम सेवा दिवस गुजरा हो।

भवदीय,

(के.पि.के. नंबिशन)

उप सचिव

दूरभाष- 01124623711

प्रति:-

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
प्रति और निगम अनुभाग
Receipt & Issued Section

07 JUN 2012

1. प्रमुख सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार-800023
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा-विभाग, झारखंड सरकार, रांची, झारखंड।

0/2